न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

वाद पत्र सं0 : 357 सन 2012

अनवान : –

1. बिदामीदेवी पत्नी अमीचन्द जाति मेघवाल साकिन धानसिया तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम

1. सरोज पत्नी सुदेश जाति मेघवाल सांकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा।
2. नानूराम पुत्र माडुराम जाति नायक साकिन सागड़ा तहसील भादरा–फौत
   2/1. भागोदेवी 2/2. फरसाराम 2/3. झीडुराम 2/4. बृजलाल
   2/5. परमेश्वरी 2/6. बलवन्त 2/7. महेन्द्र सिंह पुत्र व पुत्रीया नानूराम जाति नायक साकिन सागड़ा तहसील भादरा।
3. मोमनराम पुत्र सहीराम जाति नायक साकिन सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादीया**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 26/03/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खसरा न0 522/1 की 6.5021, 530/1 की 3.1119 हैक्ट कुल 9.6140 हैक्ट भूमि में वादीया का 9/19 हिस्सा एवं प्रतिवादीगया न0 1 का 7/38 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 13/76 हिस्सा तथा नानूराम पुत्र मोडूराम के नाम 13/76 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पिस्तो देवी जो की दावा में प्रतिवादी संख्या 1 पर दर्ज थी ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा सरोज पत्नी सुदेश को बैय कर दिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 पिस्तो देवी का नाम कलमजन किया जाकर सरोज को प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज किया जावे। खसरा न0 713 की 30–12 बिस्वा भूमि का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने आपसी सहमति से खाता विजाजन करवा लिया है अब प्रतिवादी संख्या 4 का नाम दावा से कमलजन योग्य है। अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित दावा पेश करने हेतु आदेश दिया उसके बाद वादीया ने प्रतिवादीगण को कहा कि विवादित भूमि का खाता व लगान तकसीम करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा [illegible] की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता [illegible] कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए [illegible] दावा पेश किया गया [illegible] वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खसरा न0 522/1 की 6.5021, 530/1 की 3.1119 हैक्ट कुल 9.6140 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. बिदामी देवी पत्नी अमीचन्द जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार– ग्राम धानसिया ख0न0 522/1 की 1.7185 हैक्ट, ख0न0 530/1 की 2.8355 हैक्ट कुल 4.554 हैक्ट
2. नानुराम पुत्र माडुराम हि0 16445/50600 जाति नायक सा0 सांगड़ा तहसील भादरा खातेदार, मोमनराम पुत्र सहीराम हि0 16445/50600 जाति नायक सा0 सांगड़ा तहसील भादरा खातेदार, सरोज पत्नी सुदेश हि0 1771/5060 जाति मेघवाल सा0 कालीबंगा तहसील पीलीबंगा खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया– ग्राम धानसिया ख0न0 522/1 की 4.7836 हैक्ट, ख0न0 530/1 की 0.2764 हैक्ट कुल 5.060 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

वाद पत्र सं0 : 357 सन 2012

अनवान : —

1. बिदामीदेवी पत्नी अमीचन्द जाति मेघवाल साकिन धानसिया तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम

1. सरोज पत्नी सुदेश जाति मेघवाल साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा।
2. नानूराम पुत्र माडुराम जाति नायक साकिन सागड़ा तहसील भादरा–फौत
   2/1. भागोदेवी 2/2. फरसाराम 2/3. झीडुराम 2/4. बृजलाल
   2/5. परमेश्वरी 2/6. बलवन्त 2/7. महेन्द्र सिंह पुत्र व पुत्रीया नानूराम जाति नायक साकिन सागड़ा तहसील भादरा।
3. मोमनराम पुत्र सहीराम जाति नायक साकिन सागड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2012 निर्णय दिनांक -26/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खसरा न0 522/1 की 6.5021, 530/1 की 3.1119 हैक्ट कुल 9.6140 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 बिदामी देवी पत्नी अमीचन्द जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार– ग्राम धानसिया ख0न0 522/1 की 1.7185 हैक्ट, ख0न0 530/1 की 2.8355 हैक्ट कुल 4.554 हैक्ट

2 नानुराम पुत्र माडुराम हि0 16445/50600 जाति नायक सा0 सांगड़ा तहसील भादरा खातेदार, मोमनराम पुत्र सहीराम हि0 16445/50600 जाति नायक सा0 सांगड़ा तहसील भादरा खातेदार, सरोज पत्नी सुदेश हि0 1771/5060 जाति मेघवाल सा0 कालीबंगा तहसील पीलीबंगा खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया– ग्राम धानसिया ख0न0 522/1 की 4.7836 हैक्ट, ख0न0 530/1 की 0.2764 हैक्ट कुल 5.060 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनाक 26/03/... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर